आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23	अभिलेख उपस्थापित।	

अशोक कुमार दास, पिता-स्व0 फुलचन्द रविदास, ग्राम-बैहरी, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-22, 9, प्लॉट संख्या-856, 857, रकवा-1.54डी0, 1.32डी0 कुल रकवा-2.86 डी0 भूमि आनन्द कुमार राम, पिता-बजरंग राम, ग्राम+पोस्ट-बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 390/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

केता आनन्द कुमार राम एवं विक्रेता अशोक कुमार दास अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास संयुक्त खाता में रकवा 15 डी0 भूमि बचेगी। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 50/V एवं 51/V पर रामखेलावन राम वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2010-11 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता अशोक कुमार दास का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/75777 दिनांक 22.02.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/40628 दिनांक-05.02.2021 और केता आनन्द कुमार राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/59733 दिनांक 08.02.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रमाण–पत्र संख्या JHSCH/2022/02032 दिनांक 11.02.2022 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–लाखे, थाना नं0–155, खाता संख्या–22, 9, प्लॉट संख्या–856, 857, रकवा–1.54डी0, 1.32डी0 कुल रकवा–2.86 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.15 16:16:29 +05:30
Location: 192.168.0.107